राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या 2154/2014/बीकानेर

राजस्थान सरकार जरिए उप पंजीयक द्वितीय,
बीकानेर .....प्रार्थी

बनाम

1. सचिव कृषि उपज मण्डी समिति, बीकानेर
2. मैसर्स हरिओम ट्रेडिंग कम्पनी जरिये बजरंगलाल पुत्र हनुमान प्रसाद निवासी नौखा, बीकानेर .....अप्रार्थीगण

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय–सदस्य

उपस्थितः
श्री अनिल पोखरणा,
उप राजकीय अभिभाषक .....प्रार्थी की ओर से
सुश्री रेखा गोयल
अभिभाषक .....अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से

निर्णय दिनांक :– 09.08.2018

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी विभाग द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) हनुमानगढ़ (जिसे आगे **'कलक्टर'** कहा गया है) के द्वारा प्रकरण संख्या 19/2014 में पारित आदेश दिनांक 09.07.2014 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के समक्ष एक लीज डीड पत्र का दस्तावेज दिनांक 02.06.2011 को पेश हुआ जिसे प्रार्थी द्वारा दस्तावेज संख्या 2011003821 दिनांक 02.06.2011 को रूपये 3,81,888/– की मालियत पर मुद्रांक कर रूपये 19,100/– व पंजीयन शुल्क व अन्य शुल्क रूपये 6,030/– लेकर, दस्तावेज पंजीबद्ध कर वापस लौटा दिया था। ए.जी. के निरिक्षण अवधि 9/10 से 3/12 के वक्त निरिक्षण करने पर यह पाया गया की यह दस्तावेज की निष्पादन तिथि 21.02.2011 है तथा प्रस्तुतीकरण तिथि 02.06.2011 है। राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या प–2(36)वित/कर/2010–60 दिनांक 19.08.2010 के अनुसार दस्तावेज निष्पादन के 2 माह से 4 माह पंजीयन हेतु पंजीयन होने पर आंके जाने वाली कीमत में 25 प्रतिशत बढ़ोतरी कर उसी पर मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क वसूल किया जाना ऑक्षेपित किया है। ए.जी. के निरिक्षण व ऑडिट पेरा बनने के पश्चात् प्रार्थी द्वारा जांच दल के ऑक्षेप के आधार पर धारा 51(5) राजस्थान स्टाम्प एक्ट के तहत उपमहानिरिक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक बीकानेर के समक्ष रेफरेन्स इस आशय का दर्ज कराया गया की दस्तावेज का मूल्य रूपये 4,77,360/– अक्षरे चार लाख

निरन्तर.....2

सतत्तर हजार तीन सौ साठ रूपये है जिस पर कमी मुद्रांक कर व पंजीयन शुल्क की राशि रूपये 5,690/– देय बनती है जबकि अप्रार्थी ने रूपये 19,100/– बतौर मुद्रांक कर व रूपये 6,030/– पंजीयन शुल्क व अन्य शुल्क की राशि अदा की है, इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा रूपये 5,690/– मुद्रांक कर की राशि का करापवंचन कर, विभाजन पत्र का पंजीयन करवा लिया। जिस रेफरेन्स को माननीय उपमहानिरिक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक कर एवं पदेन कलक्टर(मुद्रांक) बीकानेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 09.07.2014 के द्वारा खारिज कर दिया। इस कारण प्रार्थी उपमहानिरिक्षक महोदय के निर्णय दिनांक 09.07.2014 से असन्तुष्ट एवं व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. निगरानी दर्ज की जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से विद्वान अभिभाषक उपस्थित आये।

4. बहस विद्वान उप राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

5. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रश्नगत मामले में दस्तावेज दिनांक 21.02.2011 को लिखा जाना अंकित है। परन्तु निष्पादक सचिव कृषि उपज मण्डी समिति बीकानेर ने हस्ताक्षर दिनांक 02.06.2011 को किए है अतः दिनांक 21.02.2011 को दस्तावेज की निष्पादन की तिथि मानी जानी चाहिए और देरी से प्रस्तुत दस्तावेज पर कमी मुद्रांक शुल्क देय है।

6. उभयपक्षों की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय का निर्णय निम्न प्रकार है।

7. विचाराधीन प्रकरण में यह सही है कि दस्तावेज दिनांक 21.02.2011 को लिखा गया है। परन्तु पंजीयन अधिनियम व विभागीय निर्देशों के अनुसार दस्तावेज पर निष्पादक के हस्ताक्षर की तिथि को निष्पादन की तिथि माना गया है। कलेक्टर (मुद्रांक) ने अपने निर्णय में इस तथ्य को अंकित किया है कि निष्पादक सचिव कृषि उपज मण्डी समिति बीकानेर ने हस्ताक्षर दिनांक 02.06.2011 को किए है तथा दस्तावेज का प्रस्तुतीकरण बिना कोई विलम्ब के दिनांक 02.06.2011 को किया गया है। अतः प्रकरण में पंजीयन शुल्क में किसी प्रकार का विलम्ब शुल्क वसूल किया जाना अपेक्षित नहीं है। इस प्रकार कलेक्टर (मुद्रांक) के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है। अतः इसे यथावत रखा जाता है।

8. फलतः राजस्व की ~~अपील~~ निगरानी अस्वीकार की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य